न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2023 दावा/बउनवान/ऋतु खण्डेलवाल वगैरा/जगदीश वगैरा

1. श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल पत्नी श्री कैलाश खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. श्रीमती रीना गुप्ता पत्नी श्री भारत खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादीगण—

—बनाम—

1. जगदीश पुत्र श्री रतनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेहूंखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. श्रीमती विमलाबाई पुत्री श्री रतनलाल पत्नी श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेहूंखेडी तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार साहब सॉगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 11.02.2023

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी कं. 1, 2 व अन्य सहखातेदारों के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 337 रकबा 2.92 हैक्टर आराजी वाके ग्राम गेहूंखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित रही है जिसमें से प्रतिवादी कं. 1 द्वारा अपने हिस्से की 3/48वां हिस्सा अर्थात् 0.2450हैक्टर आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 2015001072 दिनांक 03.08.2015 से वादी कं. 2 को तथा प्रतिवादी कं. 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं के हिस्से की 3/48 वां हिस्सा अर्थात् 0.2450 हैक्टर आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 2015001071 दिनांक 03.08.2015 वादी कं. 1 को विक्रय कर कब्जा आराजी उसी वक्त मौके पर वादीगण को सम्भला दिया था। तब से वादीगण वादग्रस्त आराजी को शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। वादीगण द्वारा वक्त खरीद उक्त बैनामों की नकल पटवारी हल्का को वास्ते खोलने इन्तकाल दे दी थी और पटवारी हल्का द्वारा विश्वास दिलाया था कि उसके द्वारा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैनामा अमल कर दिया गया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

है किन्तु गत सप्ताह वादीगण ने प्रधानमन्त्री किसान सम्बल योजना का लाभ लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि उक्त आराजी तो अभी तक विक्रेतागण के खाते ही दर्ज है तो वादीगण द्वारा बैनामों की नकल पटवारी हल्का को दी तो उन्होने बताया कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों द्वारा वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन करवा लेने से वादीगण द्वारा कयशुदा आराजी के खसरा नंबर बदलकर 410/337 रकबा 0.49 हैक्टर बन गये हैं जबकि रजिस्टर्ड बैनामों में मूल खसरा नंबर 337 ही अंकित है जिसके कारण बैनामों का इन्तकाल नहीं खोला जा सकता है और पटवारी हल्का द्वारा उपखण्ड न्यायालय से आदेश लाने पर ही बैनामों का इन्तकाल दर्ज करने की बात कही जिसके कारण माननीय न्यायालय में यह वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड बैनामों की पालना में राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज करने में असमर्थता जाहिर करने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी होने से लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद को प्रतिवादी कं. 3 की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः माल ग्राम गेहूंखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित 410/337 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी से प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम खाते से हटाकर वादीगण का नाम बांट–बराबर में खाते में अंकित किया जावे तथा माल ग्राम गेहूंखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित 410/337 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम अंकित होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी कं. 1, 2 उक्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, दान, बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें व वादीगण को उक्त आराजी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से जबरन बेदखल नहीं करें व वादीगण को आराजी शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1, 2 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1, 2 की ओर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार कर डिकी करने का निवेदन किया पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, राजीनामा पक्षकारान के अनुसार दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम गेहूंखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित 410/337 रकबा 0.49 हैक्टर आराज़ी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

जाता है। उक्त आराजी से प्रतिवादी क्रं. 1, 2 के नाम खाते से हटाकर वादीगण के नाम बांट–बराबर में खाते में अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 11.02.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद, जिला- कोटा
सॉगोद

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 187/2023 दावा/बउनवान/ऋतु खण्डेलवाल वगैरा/जगदीश वगैरा

1. श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल पत्नी श्री कैलाश खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. श्रीमती रीना गुप्ता पत्नी श्री भारत खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादीगण–

–बनाम–

1. जगदीश पुत्र श्री रतनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेहूंखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. श्रीमती विमलाबाई पुत्री श्री रतनलाल पत्नी श्री नाथूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम गेहूंखेडी तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार साहब सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं.187/2023
तारीख फैसला दिनांक 11.02.2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... **दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम गेहूंखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित 410/337 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त आराजी से प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम खाते से हटाकर वादीगण के नाम बांट–बराबर में खाते में अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 11.02.2023 को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला–कोटा

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला–कोटा